UPLL010021512020

न्यायालय Spl. Judge (U.P. Dacoity A.A.),

Lalitpur.

<u>Sessions Case</u>/601/2020

Kapil Kumar Vs. Pradeep

<u>27.01.2021–</u> पत्रावली पेश हुयी। अभियुक्त दीपक की ओर से प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र व माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांकित 13.01.2021 की प्रति सहित इस प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 13.01.2021 का अनुपालन किया जाय।

माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांकित 13.01.21 का सत्यापन सिस्टम ऑफीसर कम्प्यूटर विभाग ललितपुर द्वारा कराया गया जिसके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की पुष्टि की गयी है।

माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 482 संख्या–351/2021 के मामले में अभियुक्त प्रदीप आदि के संदर्भ में यह आदेश पारित किया गया है कि अभियुक्तगण के विरूद्ध 45 दिन के अंदर तक कोई उत्पीड़क प्रक्रिया जारी न की जाय तथा अभियुक्त प्रदीप आदि 45 दिन के अंदर न्यायालय में आत्मसमर्पण कर जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करेंगे।

अतः माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांकित 13.01.21 के अनुपालन में अभियुक्त प्रदीप आदि के विरूद्ध कोई उत्पीड़क आदेशिका जारी न की जाय। यदि अभियुक्त प्रदीप आदि के विरूद्ध एन०बी०डब्लू० जारी हुआ है तो उसे अविलंब अदम तामील न्यायालय वापस मंगाया जाये।

पत्रावली वास्ते अग्रिम आदेश दिनांक 12.03.2021 को पेश हो।

अपर जिला एवं सत्र/विशेष न्यायाधीश,

(उप्र दप्रक्षे अधि), ललितपुर।

Digitally signed by Manoj Kumar Agarwal
Date: 2021.01.28 13:54:52 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court